न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–389/2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्रिंस पुत्र भंवरलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. टम्मु पुत्री बालू जाट जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा ।
2. दिलखुश पुत्र भंवरलाल जाट जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
3. नन्दू पुत्री बालू जाट जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नारायण पुत्र बालू जाट, उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
5. बदाम पुत्री बालू जाट, उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
6. भंवर पुत्र बालू जाट जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
7. रूपी पत्नी बालू जाट जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी आटूण तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. उपपंजीयक, भीलवाडा प्रथम व द्वितीय।

– विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा० टि० एक्ट
बाबत् विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात एवं
स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए०

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री श्रवण सेन :– प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांकः– 27/1/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सेन द्वारा दिनांक 16.07.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 394/2025 पर दर्ज किया गया।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक न्याया/विविध/2025/12315 दिनांक 01.09.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में विचाराधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत विचाराधीन पत्रावलियां अंतरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में पेश होने से पत्रावली दिनांक 29.09.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 389/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई हेतु नियत की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह है कि उक्त उनवान का वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि काफी ठोस तथ्यो पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा।

प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 की शामलाती अविभाजित कृषि ग्राम आटूण प०ह० आटूण, भू०अ०नि०क्षेत्र आटूण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी संख्या 2052/1, 2054, 2125, 2149/1, 2195/2, 2863/2121 कुल किता 06 कुल रकबा 1.5048 हैक्टयर भूमि स्थित है।

27/1/26
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की शामलाती खाते की होकर अविभाजित कृषि आराजियात है, जिसमें प्रार्थी प्रिंस का 1/18 वां हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 टम्मु का 1/6 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 दिलखुश का 1/18 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 नन्दु का 1/6 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 04 नारायण का 1/6 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 05 बदाम का 1/6 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 06 भवंरलाल का 1/18 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 07 रूपी का 1/6 वां हिस्सा, राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। उसी अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग व काश्त करते आ रहे है, लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का कब्जे के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर खाता अलग कर, लगान अलग तय करवा विभाजन करवाये तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई जाना आवश्यक है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/18 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित है, इसलिए प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से का कब्जे अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई बार निवेदन किया, किन्तु विपक्षीगण हर समय टालम टोल करते रहे एवं विपक्षीगण विभाजन के लिए तैयार नहीं हुऐ तथा विपक्षीगण बिना विभाजन कराये रहन व बक्षीस के माध्यम से अन्तरित करने पर आमादा है। जिसके लिये विपक्षीगण ने प्रार्थी को दिनांक 15.06.2025 को धमकी दी की उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये ही रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर विक्रय कर देगें। जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया। अतः प्रार्थी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 15.06.2025 को विपक्षीगण द्वारा बिना विभाजन कराये रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर विक्रय करने की धमकी देने की दिनांक 15.06.2025 से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है। चूंकि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि में सह हिस्सेदार है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन विपक्षीगण बिना विभाजन कराये रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को मौके से बेदखल कर रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से किया जाना असभंव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है। सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि ग्राम आटून प०ह० आटून, भू.अ.नि.क्षेत्र आटून तहसील व जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजी नम्बर 2052/1, 2054, 2125, 2149/1, 2195/2, 2863/2121 कुल किता 06 कुल रकबा 1.5048 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के 1/18 वां हिस्सा के उपयोग उपभोग व काश्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वंय उत्पन्न करे व अन्य से करावें, मौके से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें। विपक्षी संख्या 08 उक्त भूमि का किसी प्रकार का नामान्तकरण नहीं खोले, विपक्षी संख्या 09 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर इसका पंजीयन नहीं करें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखें।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 के सम्मन बाद तामील दिनांक 18.03.2026 को प्राप्त होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 15.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-**
2. **सुविधा का संतुलन एवं**
3. **अपूरणीय क्षति-**

पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु उपरोक्त तीनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम आटूण प०ह० आटूण, भू०अ०नि०क्षेत्र आटूण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी संख्या 2052/1, 2054, 2125, 2149/1, 2195/2, 2863/2121 कुल किता 06 कुल रकबा 1.5048 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 की शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग व काश्त करते आ रहे है, लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का कब्जे के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर खाता अलग कर, लगान अलग तय करवा विभाजन करवावे तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई जाना आवश्यक है। चूंकि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि में सह हिस्सेदार है तथा अपने हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन विपक्षीगण बिना विभाजन कराये रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को मौके से बेदखल कर रहन बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से किया जाना असभंव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है। सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 की संयुक्त कब्जेयाबी व स्वामित्व की कृषि आराजियात है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। जमाबन्दी सम्वत् 2069-73 से स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का 1/18 वां हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार ही प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 07 काबिज हो काश्त कर रहे है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। दौराने वाद यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को मौके से बेदखल कर रहन बय बक्षीस के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को अन्तरित कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा, जिसकी पूर्ति आर्थिक रूप से किया जाना असभंव है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वादग्रस्त भूमि का दौराने वाद अंतरण नहीं होने दे तथा नवीन वादकारण को रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे। न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक दायित्व की पूर्ति किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.07.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम आटूण प०ह० आटूण, भू०अ०नि०क्षेत्र आटूण तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में आराजी संख्या 2052/1, 2054, 2125, 2149/1, 2195/2, 2863/2121 कुल किता 06 कुल रकबा 1.5048 हैक्टयर भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.07.2025 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

27/5/25

(सहायक कलक्टर)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा